

अधि. अधि. वि. वि. खण्ड-प्रतापगढ़

- सम्बन्धित विद्युत उपसंस्थान का नाम
सम्बन्धित उपखण्ड का नाम ५५
आवेदक की साइट की जांच की
की मोटर पानी उठाने में सक्षम है तथा आवेदन के खिलाफ कोई घैकिंग/
विजिलेंस की कार्य नहीं हुई है।

प्रक्रमण धनराशि जमा रसीद संख्या

दिनांक.....



४० अवर अभियन्ता

कोषाध्यक्ष,

उपभोक्ता के आग्रह पर सशर्त प्रार्थना पत्र स्वीकार
कि विभाग में सामान उपलब्ध होने पर ही कार्यवाही होती।
कृपया 200/- रु. प्रक्रमण धनराशि जमा करें।

अधि. अभियन्ता

निजी नलकूप विधा के लिए
..... ०३ अश्वशक्ति
प्रभार स्वीकृत किया जाता है।

सहा.अभि.(रा.)/अधि.अभि

केवल नलकूपों के निमित्त विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन-पत्र

संक्षेप में,

अधिकारी अभियन्ता

- १- विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय प्रतापगढ़,
प्रार्थी का नाम और पता ५१५८१-५१५८१-५१५८१-
पिता/पति हुए नाम ५१५८१-५१५८१-
ग्राम ५१५८१-५१५८१ पोस्ट ५१५८१-५१५८१ मौजा ५१५८१-५१५८१-
स्थान ५१५८१-५१५८१ तहसील ५१५८१-५१५८१ जिला धारा ५१५८१-५१५८१-
विज्ञानी की शक्ति की भाँति जिसके आवेदन पत्र दिया
जा रहा है। साइट जहाँ कनेक्शन लेना चाहते हैं।
प्रार्थी का एकड़ी में वह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की
जायेगी। जमीन के दुर्घटों का पूरा विवरण, उनका नाम,
संख्या स्थिति आदि का पूरा विवरण दिया जाय।
क्या उस क्षेत्र की सिंचाई किसी दूसरे स्थान पक्के क्षुरे
आदि से की जा सकती है?
अब तक उस क्षेत्र की सिंचाई किन साथनों से की जाती थी
और आय ठन से आर्गे काम कर्यों नहीं लिया जा सकता।
क्या वह क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः किसी राजकीय नलकूप या
नहर द्वारा गंगे जाने वाले क्षेत्र/कमाण्ड परिया के अन्तर्गत
होता है।
क्या नलकूप की बोरिंग की गई और पम्प संथां मोटर लगा
दिये हैं।
प्रार्थी वो क्षेत्र तथा निकटतम राजकीय नलकूप अथवा नहर
की बीच की दूरी।
नलकूप के स्थान से बिली के निकटतम खम्बे की दूरी
वर्दि कोई हो।
पाहाप का व्यास, चलना (स्ट्रनर) की लम्बाई, बोरिंग (खुदाई)
की गहराई, रोत की स्तरह पहले पानी फटने की घमा
गहराई और पानी निकलने का परिणाम प्रत घट गहराना।
उपर्युक्त शुल्क जमा केरने की रसीद संख्या व दिनांक
होत का नम्बर। जिसमें प्रार्थी की बोरिंग करवाया।

५१५८१-५१५८१-५१५८१

५१५८१

५१५८१-५१५८१

२०.५.१०



विद्युत वितरण खण्ड प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत शक्ति के लघु और मध्यम उपभोक्ताओं/निजी नलकूपों के लिए

अनुबन्ध पत्र/वचन पत्र

(सौ रुपये के स्टाम्प वाले कागज पर चिपकाया जायेगा)

1. मैं/हम एतद् द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कारपोरेशन (जिसे एतद् पश्चात् 'प्रदायक' (सप्लायर) कहा गया है) से निमलिखित-भू- गृहादि पर अपने संस्थापन (इन्स्टालेशन) की प्रक्रिया/प्रक्रिया के लिए संभरण का प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष की अन्यून अवधि के निमित्त..... अशवशक्ति के अनाधिक विद्युत शक्ति लेने के लिए सहमत हूँ/हैं/ उपर्युक्त दो वर्षों की अन्यून अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसा वचन वर्णनुवर्ष, यहां निहित शर्तों के आधार पर तक जारी रखा गया समझा जायेगा, जब तक दोनों ओर से किसी ओर से कम से कम 30 दिन के पूर्व लिखित सूचना देकर उसकी समाप्त न कर दिया गया हो।
2. मैं/ हम एतद् द्वारा समय प्रचलित अथवा प्रदायक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उपर्युक्त संभारण के लिए कारपोरेशन द्वारा नियत दरों से अनुबन्धित अन्य परिव्ययों का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
3. मैं/एतद् द्वारा प्रदायक के पास आवश्यक प्रतिभूति-धनराशि (सिक्योरिटी एमार्ट) जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं और कोई भी अग्रेतर प्रतिभूति, जब कभी प्रदायक द्वारा मांगी जायेगी, जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
4. मेरे हमारे, सम्बन्ध में प्रवृत्त टैरिफ के अनुसार यथानुबन्ध न्यूनतम प्रत्याभूमि (गारण्टी) परिचय (चार्ज) में जो भी कमी आदि होगी, वह वास्तविक उपभोग की कटौती करने के उपरांत जिसमें से वह छूट या सरचार्ज निकाल दिया जायेगा, जब विल के दरी से/भुगतान के कारण, अदेय हो, भुगतान की जायेगी।
5. मैं/हम, प्रदायक के स्टोर से कनेक्शन के स्थल तक स्वकीय अपनी लागत पर माल समान को ले जाने के लिये वचनवद्ध होता हूँ/होते हैं/वचनवद्ध नहीं होता हूँ/वचन वद्ध नहीं होते हैं।
6. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्भरण की दरों और शर्तों को मैंने/हमने पढ़ लिया है। हम, एतद् द्वारा अग्रेतर अनुबन्ध करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्भरण की शर्तों को पालन करूँगा/करेंगे तथा उसमें होने वाले पश्चात् वर्ती परिष्कारों अथवा परिवर्तनों का भी पालन करूँगा/करेंगे तथा प्रवृत्त अथवा समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट 1948 तदन्तार्गत निमित्त नियमावली तथा इण्डियन इलेक्ट्रिक्सिटी ऐक्ट 1910 तथा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 आवद्ध हुँगा/होंगे।
7. मैं/हम अपनी लागत पर खम्भों (पोल्स) के संस्थापन (इन्स्टालेशन) के लिए आपेक्षित सीमेन्ट की व्यवस्था करने के लिये वचनवद्ध होते हैं। वचनवद्ध नहीं होता हूँ/वचनवद्ध नहीं होते हैं।

खण्ड विकास अधिकारी का बोरिंग प्रमाण-पत्र संस्तुति

- (अ) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन का स्टोरिंग कार्य क्षेत्र नं. में पूर्ण है।
 अतः अवश्य शक्ति प्रभार स्वीकृत करने की संसुति की जाती है।

(ब) मेरे द्वारा साइट की जांच करवाई गई। स्टोरिंग पूर्णतः सफल है अतः विद्युत नलकूप कनेक्शन देने की संसुति की जाती है।

उपरोक्त नामों के बहुमात्रता से उपरोक्त विधि की अवधि का अनुभव हुआ।

हस्ताक्षर
रघुवंश डॉ. शिवप्रसाद आधिकारी
प्रियदर्शन कुमार बोधा बैलखण्य सहित
प्रतापनड १०/२/२३

मैं..... ५१६७५ (फॉर्म - ४०) - घोषणा करता हूँ कि

- (1) मैं ग्राम १०८६८.५८ व्लाक ७१.९१ रु. १८८.२०
डॉ १०८६८.५८ जहसील ८१.२१ रु. ४८

(2) मैं/हम अपने नाम निझी नलकूप का कनेक्शन ले रहा हैं हैं।

(3) यह है कि सह खातेदारों ने अपनी सहमति दे दी है यदि कोई वादविवाद पोया गया तो उसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

(4) मैं/हम स्वेच्छापूर्वक प्रकारण शुल्क/प्रार्थनिकता शुल्क जमा करनेको तैयार हैं।

(5) जब भी विभाग में सामान उपलब्ध होंगा तभी कनेक्शन दिया जायेगा जिसकी मैं प्रतीक्षा करूँगा किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा की गई कार्यवाही अवैध होगी।

(6) मेरा/हमारा स्वयं का शापथ पत्र संलग्न है।

(7) यह खातेदारों का शापथ पत्र संलग्न है।

(8) फोटो प्रमाणित है।

(9) खसरा, खतौनी संलग्न है।

(10) विघ्नका पूर्ण का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जिस पर बल लगाया जाया कोई विलीनिंस आदि की कार्यवाही चल रही हो अथवा स्थाई विच्छेदन कार्यवाही लम्बित हो।

(11) प्रार्थना पत्र संशर्त स्वयं के आग्रह पर प्रस्तुत कर रहा है। समय-समय पर विभाग को जारी योजना आदेश प्रभावी होंगे, नियम एवं शर्तें जारी होने के बाद एक माह में बातुबन्धन करने पर प्रार्थना पत्र संशर्त होनेविरत हो जायेगा।

(12) मैं पूर्ण जमा योजना में कनेक्शन देना चाहता हूँ।

प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताभ्यर

हस्ताक्षर.....

आवेदन का नाम १४) ५) - (६७८८ प्र०८५)

(प्रधान/ब्लाक प्रमुख/बी.डी.ओ. या अन्य किसी
अधिकारी के हस्ताक्षर)

पिता का नाम १६८/११८-४०५

Digitized by srujanika@gmail.com

पता.....

प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन